जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद–चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक–03.09.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

उक्त आयोजित बैठक मे निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहेः–

1. श्रीमती अमृतपाल कौर, मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
2. श्री स्वप्निल कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट।
3. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
4. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
5. श्री शशिकान्त मौर्य, श्री बिस्मिल्लाह, श्री शोभित गुप्ता, श्री गुलाम सिबतैन, सहायक अभियन्ता, (सिविल)/SWSMउ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
6. श्री विजय शंकर यादव, श्री हरिकेश, श्री नित्यानंद गुप्ता, श्री विन्ध्यवासिनी प्रसाद चौबे, श्री जय नारायण तिवारी, श्री शिवम त्रिपाठी, श्री अभिजीत यादव, जूनियर इंजीनियर (सिविल)/SWSM उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
7. श्री अभय नारायण दीक्षित, डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0, चित्रकूट।
8. श्री विनय कुमार, श्री चन्द्रशेखर गिरि, क्यू0ए0, क्यू0सी0 टी0पी0आई0, चित्रकूट।
9. श्री रोहित सहाय, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, एल0एण्ड0टी0/श्री प्रोबिंस कटियार, प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यदायी संस्था (L&T)
10. श्री एस0 मौर्या, डी0पी0एम0, कार्यदायी संस्था जी0वी0पी0आर0, चित्रकूट।
11. श्री विकास पाण्डेय, साइट इंजीनियर, कार्यदायी संस्था जी0वी0पी0आर0, चित्रकूट।
12. श्री कुलजीत, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स विद्युत कुमार जैन, कुन्दन भवन लखनऊ।
13. श्री सुशील द्विवेदी, प्रतिनिधि, मैसर्स संतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कर्वी, चित्रकूट।
14. श्री शिवम, प्रतिनिधि मैसर्स भारतीय इंजीनियर्स, जी0एफ0–18, अली कार्पोरेट प्लाजा मैरिज रोड, अलीगढ।
15. श्री रजत, प्रतिनिधि, मैसर्स शिवा एसोसिएट्स, नयागांव, गोरखपुर।
16. श्री आलोक, श्री राघवेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स ए0आर0 कन्सट्रक्शन कम्पनी बांदा।
17. श्री गौरव त्रिपाठी, प्रतिनिधि आई0एस0ए0 संस्था, सर्वांगीण मानव सेवा समिति, लखनऊ।
18. श्री दिनेश विश्वकर्मा, प्रतिनिधि, आई0एस0ए0 संस्था, जन सहयोग एवं विकास संस्थान, प्रयागराज।
19. श्री याशिर, प्रतिनिधि, आई0ई0सी0 संस्था, मैसर्स अम्बर प्रेस प्रा0 लि0, लखनऊ।

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्री सुमित कुमार, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेन्सी सेंसिस टेक लि0 (TPI) के डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0, श्री अभय नारायण दीक्षित तथा कार्यदायी संस्था–(L&T)के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री रोहित सहाय, प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री प्रोबिन्स कटियार, कार्यदायी संस्था–(GVPR) इंजीनियर्स लि0 के डी0पी0एम0 श्री एस0 मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या–01 ,02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह परियोजना, बरगढ, परदवां, कोल्हुवामाफी परियोजना के विभिन्न कम्पोनेंट्स पर किये गये कार्यो की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक मे निर्माणाधीन परियोजनाओ की समीक्षा का विवरण निम्नवत हैः–

S. No	District	Agency	Scheme	Village Alloted	Intake	WTP	CWR		OHT			ROAD RESTORATION		
							Required	Complete till Date 03.09.2025	Required	Complete till Date 03.09.2025	Completed (%)	Villages Alloted	Complete till Date 03.09.2025	Restored (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	1 (98%)	1 (95%)	11	11	28	25	89.28%	71	58	82%
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustkil GOV	59	1 (98%)	1 (95%)	6	6	17	17	100%	59	54	92%
			Chandi Bangar GOV	286	1 (95%)	1 (90%)	20	20	91	86	94.50%	286	187	65%
Total Chitrakoot				416	3	3	37	37	136	128	94.11%	416	299	79%

S.No	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	Villages Alloted	PIPELINE(KM)								
					RAW WATER			CLEAR WATER			DISTRIBUTION MAIN		
					Required	Complete till Date 03.09.2025	Completed (%)	Required	Complete till Date 03.09.2025	Completed (%)	Required	Complete till Date 03.09.2025	Completed (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	2.41	2.41	100%	245.00	230.50	94.07%	635.00	599.00	98.04%
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustkil GOV	59	10.55	10.55	100%	165.00	162.00	98.20%	425.00	416.20	97.93%
			Chandi Bangar GOV	286	2.24	2.24	100%	547.00	537.00	98%	2477.00	2196.50	88.68%
Total Chitrakoot				416	15.20	15.20	100%	957.00	929.50	97.12%	3537.00	3211.70	90.80%

S. No	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	HGJ Status					Comissioning of Village	
				Villages Alloted	Household	FHTC Given as on Today	FHTC %	HGJ Certified Villages on 03.09.2025	Comissioned village on 03.09.2025	Regular water supply on 03.09.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	19570	16797	85.83 %	44	65	57
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Mustkil GOV	59	11925	11410	95.68 %	53	59	59
			Chandi Bangar GOV	286	86157	74630	86.62 %	62	233	150
		Retro and Operation Maintainance Scheme		145	46582	46513	99.85 %	122	127	127
Total Chitrakoot				561	164234	149350	90.93%	281	484	393

List of Manpower Deployed for Civil work in JJM Chitrakoot Project on dated 03.09.2025 Raipura					
SNo.	Descriptions	RaipuraWSS			
		RequiredTeam/Manpower	Deployed Team/ Manpower	RequiredTeam/ Manpower (E&M)	DeployedTeam/Manpower (E&M)
1	INTAKE	05	0	10	0
2	WTP	15	03	20	8
3	CWR&PH	35	04	30	0
4	OHT	30	12	20	0
5	PIPELINE &Gap Closing	105	25	-	-
6	COMMISSIONING	80	32	-	-
7	Road Restoration	50	00	-	-
8	FHTC	80	23	-	-
	Total	400	99	80	8

SNo.	Descriptions	List of Manpower Deployed for Civil work in JJM Chitrakoot Project on dated 03.09.2025 SM CB: Silauta Mustakil — Required Team /Manpower	Deployed Team/ Manpower	Required Team/ Manpower (E&M)	Deployed Team/ Manpower (E&M)	Chandi Banger — Required Team /Manpower	Deployed Team/ Manpower	Required Team/ Manpower (E&M)	Deployed Team/ Manpower (E&M)
1	INTAKE	03	0	10	0	05	02	10	0
2	WTP	06	02	10	3	15	07	15	0
3	CWR & PH	05	01	30	0	30	20	50	16
4	OHT	15	03	10	0	100	89	40	0
5	PIPELINE & GapClosing	15	04	-	-	200	80		-
6	COMMISSIONING	16	04	-	-	240	51		-
7	Road Restoration	10	00	-	-	210	06		-
8	FHTC	20	04	-	-	130	30		-
	Total	90	18	60	3	930	285	115	16

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कम्पोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी गयी है जिसके कारण उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्यो की भौतिक प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था–(L&T)के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री रोहित सहाय, प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री प्रोबिन्स कटियार, कार्यदायी संस्था–(GVPR) इंजीनियर्स लि0 के डी0पी0एम0 श्री एस0 मौर्या को निर्देशित किया गया कि अपने–अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इण्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्यो के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/ GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन–रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। साथ ही साथ फर्म एल0एण्ड0टी0, जी0वी0पी0आर0, रेट्रोफिटिंग के समस्त कान्ट्रैक्टर्स को निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस कनेक्शन कार्यो के दौरान मानक के अनुरूप ही पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन, एम0डी0पी0ई0 पाइप की गहराई करते हुये कार्य पूर्ण कराए जाएं। नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी0आई0पी के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन के कार्यो को मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को समस्त कार्यो की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि वह टी0पी0आई0 सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कार्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक के कार्य स्थलों पर भेजकर सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यो पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों की क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय करायें।

2–नियमित जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन की स्थिति

क्र0 सं0	प्रतिशत वार प्रगति	सिलौटा मु0 ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामों एवं मजरों की संख्या				चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामों एवं मजरों की संख्या				रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामों एवं मजरों की संख्या			
		रोड रेस्टोरेशन (ग्राम)	नियमित जलापूर्ति (मजरा)	लक्षित मैनपावर	कार्यरत मैनपावर	रोड रेस्टोरेशन (ग्राम)	नियमित जलापूर्ति (मजरा)	लक्षित मैनपावर	कार्यरत मैनपावर	रोड रेस्टोरेशन (ग्राम)	नियमित जलापूर्ति (मजरा)	लक्षित मैनपावर	कार्यरत मैनपावर
1	100 %	33	120	10	00	38	45	210	06	34	157	50	0
2	75 से 99 %	23	14			95	106			10	21		
3	51 से 75 %	02	04			95	141			13	08		
4	25 से 50 %	00	03			15	61			04	08		
5	01 से 25 %	01	02			20	31			10	02		
6	0 %	0	01			23	817			0	125		
	योग	59	144			286	1201			71	321		

निर्माणाधीन परियोजनाओं की रोड रेस्टोरेशन की जो प्रगति jjm portal पर टी0पी0आई0 के द्वारा अपडेट की गयी है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि रोड रेस्टोरेशन के कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी एव खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। कार्यदायी संस्था (L&T/GVPR) के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित मशीनरी एवं मैनपावर की तैनाती नहीं किये जाने के कारण अधिकांश ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य अभी तक प्रारम्भ नही किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर ग्राम के निवासियों, सम्बन्धित ग्राम प्रधान/अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इस सम्बन्ध मे सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को अतिरिक्त मैनपावर लगाकर एवं मशीनरी बढाकर यथाशीघ्र जनपद में निर्माणाधीन समस्त पाइप पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों में खोदी/तोडी गयी सडके/सी.सी.रोड/खडंजा/इंटरलाकिंग इत्यादि के रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को शत–प्रतिशत मानकों के अनुरूप पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। क्वालिटी इंजीनियर, सेन्सिस टेक लि0 टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित ग्रामों में शत–प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही jjm portal पर प्रगति अपडेट की जाये, अन्यथा की स्थिति में जांच करने पर यदि विसंगति पायी जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी0आई0पी के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है कि स्वयं एवं अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर रोड रेस्टोरेशन के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियो की मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त ग्रामवासियों/मा0 जन प्रतिनिधियो को जल जीवन मिशन से सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित समाधान कराना सुनिश्चित करें।

उ0प्र0 जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की समीक्षा –

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट की परियोजनायें रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन (पैकेज 01,02 व 03) मऊ बरगढ परदवा, कोल्हुवामाफी परियोजनाओं के कार्यों का विवरण निम्नवत है:–

S. No	District	Scheme	Village Alloted	CWR		OHT			Comissioning of Village	
				Required	Complete till Date 03.09.2025	Required	Complete till Date 03.09.2025	Completed (%)	Comissioned village on 03.09.2025	Regular water supply on 03.09.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	Package 1	16	11	11	5	5	100%	14	10
2		Package 2	14	13	13	7	7	100%	08	07
3		Package 3	10	10	10	5	5	100%	5	5
4		Mau Retrofitting	11	8	7	2	2	0%	4	4
5		Bargarh Refrofitting	9	9	8	0	0	-	8	6
6		Pardawan WSS	3	0	0	3	2	67%	1	1
7		Kolhua Mafi	1	0	0	1	1	100%	0	0
Total Chitrakoot			64	51	49	23	22	69%	40	33

S. No	District	Scheme	Village Alloted	Pipeline				FHTC	
				Rising Main		Distribution			
				Required	Complete till Date 03.09.2025	Required	Complete till Date 03.09.2025	Required	Complete till Date 03.09.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Chitrakoot	Package 1	16	7.06	7.06	113.54	123.97	9358	9109
2		Package 2	14	12.42	6.29	99.44	94.69	6122	4075
3		Package 3	10	11.98	6.05	71.21	71.21	9355	4557
4		Mau Retrofitting	11	9.28	0	84.28	80.93	4215	2730
5		Bargarh Retrofitting	9	5.67	0	67.97	67.97	2941	2744
6		Pardawan WSS	3	0.65	0	9.50	8.80	790	460
7		Kolhua Mafi	1	0.05	0	2.55	2.00	60	30
Total Chitrakoot			64	55.12	15.83	448.49	449.57	32841	23705

संज्ञानित हुआ है कि जल निगम की रेट्रोफिटिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज–01, 02, व 3, मऊ परियोजना, बरगढ परियोजना, परदवा परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइपलाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति काफी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य के अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नही लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओ को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन–रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यो को ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सेसिंस टेक लि0 के डिप्टी टीम लीडर, श्री अभय नारायण दीक्षित एवं नोडल विभाग जल निगम के अधिशासी अभियन्ता एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्य स्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए

उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों का मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यो मे भौतिक प्रगति बढाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करे तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता उपरोक्त सभी कार्यो का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर स्वयं मानीटरिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये।

लम्बित ऑनलाइन आई.जी.आर.एस सन्दर्भो का विवरण

IGRS SUMMARY EE LEVEL							03.09.2025	
TYPE OF COMPLAIN	L&T	GVPR	JWIL	BARGARH	PACKAGE 1	PACKAGE 2	PACKAGE 3	TOTAL
IGRS	152	40	20	06	13	05	08	244
JJMUP Greviance	139	22	07	07	13	06	03	197
Total	291	62	27	13	26	11	11	441

सहायक अभियन्ता नोडल आई0जी0आर0एस0 के द्वारा अवगत कराया गया कि आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भो का समयान्तर्गत निस्तारण नहीं किया जाता है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनिरयों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिकायत की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं होने एवं डिफाल्टर श्रेणी में आने की स्थिति में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनिरयों, सहायक अभियन्ताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

समीक्षा बैठक मे उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजनर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर. एस. सन्दर्भो का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत समस्त कार्यदाई संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/ठेकेदारो एवं जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ताओं को कड़े निर्देश दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पोर्टल पर प्रदर्शित असंतुष्ट फीडबैक संदर्भो ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भो का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त 59 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गई है। योजना के अन्तर्गत कुल 59 ग्रामों के 144 मजरो में से 120 मजरो में शत प्रतिशत नियमित जलापूर्ति चालू हो गई है शेष 24 मजरों में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। जिनमें शत–प्रतिशत नियमित जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त 59 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए।
2. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त 71 ग्रामों के सापेक्ष 57 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गई है। योजना के अन्तर्गत कुल 71 ग्रामों के 321 मजरो में से 161 मजरो में शत प्रतिशत नियमित जलापूर्ति चालू हो गई है, 24 मजरों में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है, शेष 136 मजरों में जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है, जिनमें शत– प्रतिशत नियमित जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त 71 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए।
3. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त 286 ग्रामों के सापेक्ष 152 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गई है। योजना के अन्तर्गत कुल 286 ग्रामों के 1201 मजरो में से 45 मजरो में शत प्रतिशत नियमित जलापूर्ति चालू हो गई है, 297 मजरों में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है, शेष 888 मजरों में जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है, जिनमें शत– प्रतिशत नियमित जलापूर्ति एवं रोड रैस्टोरेशन के कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त 286 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए।
4. योजनाओं के अंतर्गत मजरेवार अवशेष कार्यो को पूर्ण करने के लिए कार्य योजना तैयार करके प्रत्येक दिन की कार्य योजना के अनुसार जूनियर इंजीनियर थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक जूनियर इंजीनियर एवं टीपीआई के इंजीनियर नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी महोदय (नमामि गंगे) को प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
5. फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 को निर्देश दिए गए कि आवश्यक मैनपॉवर, मशीनरी लगाकर मजरेवार समस्त कार्यों को पूर्ण कराकर नियमित जलापूर्ति चालू करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
6. जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद के समस्त निर्माणाधीन परियोजनायें तथा उ0प्र0 जल निगम की रेट्रोफिटिंग/डिमाण्ड ओनली वाली परियोजनाओ के अन्तर्गत घटकवार जैसे इण्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs के घटकवार अवशेष कार्य एवं पाइपलाइन, हाउस कनेक्शन, गैप क्लोजिंग/लीकेज/रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति, कमीशनिंग के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के लिये ग्रामवार माइकोप्लान तैयार कर नोडल विभाग जल निगम (ग्रामीण) के कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये। ताकि सम्बन्धित इंजीनियर्स द्वारा उपरोक्त कार्यो की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा सके। सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ट्रायल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है, जिसे एक माह के अन्दर तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

7. प्रोजेक्ट मैनेजर, एल0एण्ड0टी0. के द्वारा आश्वासन दिया गया कि चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 04 नग ओ0एच0टी0 में से 02 नग ओ0एच0टी0 के कार्य 30 सितम्बर 2025 तक एवं शेष 02 नग ओ0एच0टी0 (डिलौरा, नोनार) के कार्य एप्रोच मार्ग क्लियर होने के एक माह के अन्दर अर्थात् अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे एवं समस्त 91 नग ओ0एच0टी0 को दिनांक–31.10.2025 तक फंक्शनल कराते हुए दिनांक–31.12.2025 तक योजनान्तर्गत अवशेष ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जाएगी। निर्देश दिए गए कि समस्त निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर योजना का ट्रायल एण्ड रन यथाशीघ्र प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 06 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण दिनांक–15.09.2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

8. डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, जी0वी0पी0आर0 के द्वारा आश्वासन दिया गया कि रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 03 नग ओ0एच0टी0 में से 02 नग ओ0एच0टी0 के कार्य प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर, 2025 तक, 01 नग ओ0एच0टी0 के कार्य दिनांक–31.10.2025 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे एवं समस्त 28 नग ओ0एच0टी0 को दिनांक–31.10.2025 तक फंक्शनल कराते हुए दिनांक–31.12.2025 तक योजनान्तर्गत अवशेष ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जाएगी। निर्देश दिए गए कि समस्त निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर योजना का ट्रायल एण्ड रन यथाशीघ्र प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

9. समस्त सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को निर्देश दिये गये कि जनपद के जिन ग्रामों में शत–प्रतिशत रोड़ रेस्टोरेशन एवं नियमित जलापूर्ति का कार्य पूर्ण है तथा हर घर जल प्रमाणीकरण कराये गये ग्रामों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव/पंचायत सहायक से समन्वय स्थापित करते हुए कराना सुनिश्चित करें एवं सत्यापन रिपोर्ट अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पडेगा।

10. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओ के माध्यम से ग्रामीणो को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा मे किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरता पूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलिता न बरती जाये। फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

11. निर्माणाधीन परियोजनाओं के जिन ग्रामों में ओ0एच0टी0, सी0डब्लू0आर0, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, राइजिंग मेन, हाउस कनेक्शन तथा रोड रेस्टोरेशन इत्यादि कार्यो को निर्धारित लक्ष्य अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है तथा रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति की जा रही हो उन सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक आयोजित कराकर "हर घर जल" मार्क किये जाने एवं प्रमाणीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाये। उक्त बैठक में अधिक से अधिक ग्रामवासियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पडेगा।

12. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने–अपने परियोजना अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त सामाग्री एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये तथा कार्यो हेतु प्रचलित विशिष्टियों एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण प्रचलित विशिष्टियों/मानकों के अनुसार किया जाये। टी0पी0आई द्वारा उपरोक्त मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

13. नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण के समस्त इंजीनियर्स (सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल)/टी0पी0आई0 द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करते हुये प्रचलित तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्व रूप से निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाये तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण के द्वारा भी स्वयं के स्तर से प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर अनुश्रवण किया जाये। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पडेगा।

14. जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सभी पाइप पेयजल परियोजनाओं के सभी घटकों में विद्युत कनेक्शन/ऊर्जीकृत किये जाने हेतु अवशेष सभी कार्यों को यथाशीघ्र/समयबद्ध रूप से पूर्ण करायें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

15. जल जीवन मिशन अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी सडक/सी0सी0रोड/इन्टरलाकिंग इत्यादि को पाइप लाइन की हाइड्रोटेस्टिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त तत्काल पुनः स्थापित करा दिया जाये, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी न हो। समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सडकों के पुर्नस्थापन का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक–30.09.2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

16. फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डी0पी0एम0 को निर्देश दिये गये कि सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन से सम्बन्धित समस्त कार्यों को दिनांक–15.09.2025, चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य दिनांक–30.09.2025 एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य दिनांक–

30.09.2025 तक प्रत्येक दशा में शत–प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। जिन ग्रामों में डिमाण्ड ओनली का कार्य पूर्ण हो गया है उन ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

17. फर्म जी0वी0पी0आर0 के डी0पी0एम0 श्री एस0 मौर्या को निर्देशित किया गया कि रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत जिन मजरों को योजना के मूल ड्राइंग डिजाइन में फर्म के द्वारा छोंड दिया गया था, उन मजरों में डिजाइन के अनुसार पाइप लाइन बिछाकर डिजाइन के अनुसार फीडर मेन बदलने/बूस्टर पम्प लगाने/राइजिंग मेन पाइप लाइन बिछाने आदि सम्बन्धी जो भी कार्यवाही की जानी है वह अविलम्ब पूर्ण कराकर समस्त मजरों में मानक के अनुरूप नियमित जलापूर्ति चालू कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की सिथति में फर्म के टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही के लिए बाध्य होना पडेगा।

18. समस्त कार्यदाई संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनबाडी केन्द्रों, पंचायत भवन, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैण्ड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

19. जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा पूर्व में पत्र के माध्यम से प्रेषित एवं बैठक के दौरान वाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार विद्युत फलक्चुएशन के स्थाई समाधान हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, राजापुर चित्रकूट को निर्देश दिए गए। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पडेगा।

20. जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम सरधुवा में बिछाई गई राइजिंग मेन पाइप लाइन में लीकेज हो गया है। जिसके कारण 58 ग्रामों के 144 मजरों में जलापूर्ति बाधित है, क्योंकि ब्रिज के नीचे वर्षा के जल के कारण जलभराव होने से पाइप लाइन के मरम्मत का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। तात्कालिक समाधान के लिए ब्रिज के ऊपर से पाइप लाइन बिछाए जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रा0ख0, चित्रकूट के द्वारा लोड कैलकुलेशन (पाइप/वाटर) किसी वाह्य एजेन्सी से जांच कराकर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई, जिसके उपरान्त पाइप लाइन बिछाए जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। जिसके सम्बन्ध में फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब लोड कैलकुलेशन से सम्बन्धित डाटा लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके पाइप लाइन बिछाकर जलापूर्ति बहाल की जाए।

21. रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन पेयजल योजना, रेट्रोफिटिंग मऊ एवं बरगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना एवं कोल्हुवामाफी व परदवां पेयजल योजना के ठेकेदारों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं की प्रगति अपेक्षित नहीं होने के कारण योजनाओं के लोकार्पण हेतु सूची प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। निर्देश दिए गए कि पर्याप्त मशीनरी व मैनपावर लगाते हुए समस्त अवशेष कार्यों को दिनांक–30.09.2025 तक पूर्ण कराकर ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करते हुए ग्रामों को हर घर जल प्रमाणीकराण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में फर्म के विरूद्ध अनुबन्ध की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एल0डी0 लगाने/टर्मिनेशन की कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को संस्तुति कर दी जाएगी।

22. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त फर्मों के प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए गए कि ग्रामों में ओ0एच0टी0 फंक्शनालिटी, नियमित जलापूर्ति, अवशेष रोड रेस्टोरेशन एवं हर घर जल प्रमाणीकरण कार्य का साप्ताहिक कार्ययोजना बनाकर प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11.00 बजे तक प्रत्येक दशा में खण्ड कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्ययोजना के अनुसार कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

23. योजनान्तर्गत समस्त कार्यदाई संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही सडक के किनारे पाइप लाइन बिछाने का कार्य कराया जाए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि भविष्य में यदि सडक चौडीकरण का कार्य किया जाता है तो पाइप लाइन सडक के बीच में न आए। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

24. मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट के माध्यम से टीम गठित करते हुए रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत नियमित जलापूर्ति कराए जा रहे ग्रामों का सत्यापन कराकर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

25. jjmup पोर्टल पर ग्राम पंचायत के द्वारा नाली निर्माण के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त करने के कारण 01 नग लोकल रिपेयरिंग वर्क का कार्य लम्बित है, जिसके कारण ग्राम चिल्लामाफी में जलापूर्ति बाधित है। जिला पंचायत राज अधिकारी चित्रकूट एवं फर्म एल0एण्ड0टी0 को निर्देश दिए गए कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुए मरम्मत कार्य अविलम्ब पूर्ण कराकर ग्राम में जलापूर्ति बहाल कराना सुनिशिचित करें।

26. समस्त आई0एस0ए0 एवं आई0ई0सी0 संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित रूप से कराई जा रही आई0एस0ए0 एवं आई0ई0सी0 गतिविधियों का दैनिक माइकोप्लान तैयार करके अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आई0एस0ए0 एवं आई0ई0सी0 गतिविधियों के दैनिक माइको प्लान को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समस्त सदस्यों को प्रेषित करते हुए उनके समन्वय एवं सहयोग के साथ गतिविधियों को मानक के अनुरूप

क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T)/(GVPR) इंजीनियर्स लि0 के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यो को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्य स्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस. फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे0जे0एम0 वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यो की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओ के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(शिवशरणप्पा जी0एन0)
जिलाधिकारी
चित्रकूट

कार्यालय जिलाधिकारी, चित्रकूट

संख्या 1300 **/बैठक ज0मी0मि0-चित्रकूट /2025**/m-8/58 **दिनांक** 16/09/**2025**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट।
7. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
8. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्रकूट ।
10. जिला विकास अधिकारी, चित्रकूट।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. जिला पंचायतराज अधिकारी, चित्रकूट।
14. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट ।
15. अधि0अभि0, वाटर रिसो0/सिचाई, चित्रकूट ।
16. अधिशासी अभियन्ता ग्राउण्ड वाटर बांदा।
17. जिला कृषि अधिकारी, चित्रकूट ।
18. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, चित्रकूट।
19. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, चित्रकूट।
20. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), राजापुर।
21. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
22. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंपेक्शन (टी0पी0आई0) , सेल्सिस टेक लि0 चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
23. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPRको को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
24. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी0पी0एम0 कार्यदायी संस्था L&T/GVPRको अनुपालनार्थ।
25. समस्त ठेकेदार उ0प्र0 जल निगम/रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगढ, परदवां एवं कोल्हुवामाफी को अनुपालनार्थ।
26. समस्त आई0एस0ए0 एवं आई0ई0सी0 संस्थाओं को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
चित्रकूट